न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 509 सन 2018
अनवान :–

1. सतीश कुमार पि0मु0 मनीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. कविता पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 8 केएनएन के खाता संख्या 133/116 की 13.6620हैक में से मनीराम 45 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 120/111 की कुल 5.8190 में से मनीराम का 230/12 हिस्सा , चक 11 केएनएन के खाता संख्या 96/94 की कुल 1.5180हैक मे सें मनीराम 5 हिस्सा तथा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 97/95 की कुल 0.759हैक में मनीराम का 1/4 हिस्सा , चक 11 केएनएनके खाता संख्या 56/54 की कुल 3.0340हैक में से मनीराम 1/8 हिस्सा तथा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 73/72 की कुल 24.0240 हैक में से मनीराम के नाम 1/16 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बरबार का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके दादा जैसाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी एवं पिता प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिलस है।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जैसाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हकों का त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 केएनएन के खाता संख्या 133/116 की 13.6620हैक भूमि में से मनीराम के नाम 45 हिस्सा है व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 120/111 की कुल 5.8190हैक भूमि में से मनीराम का 230/12 हिस्सा , तथा रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 96/94 की कुल 1.5180हैक में से मनीराम के नाम 5 हिस्सा है व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 97/95 की कुल 0.759हैक मे से मनीराम का 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 56/54 की कुल 3.0340हैक भूमि में से मनीराम का 1/8 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 73/72 की कुल 24.0240हैक भूमि में से मनीराम का 1/16 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या मनीराम के स्थान पर वादी खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official